<u>आवश्यक/महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-03/2019/1455/तीस-4-2018</u>

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

<u>परिवहन अनुभाग-4,</u> **<u>लखनऊ : दिनांक 31जनवरी, 2019</u>**

विषयः-डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैधमाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज को डिजिटली संपन्न एवं सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन से प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं बेहतर अनुपालन भी सुनिश्चित हो पाता है।

2- इस सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-आरटी-11036/64/ 2017-एमवीएल, दिनांक 08 अगस्त, 2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रमाण पत्रों को डिजीलाकर (DigiLocker) में रखने की सुविधा प्रदान की गयी है तथा उक्त मंत्रालय द्वारा विकसित एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर भी ऐसे अभिलेखों को इलैक्ट्रानिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार इंश्योरेन्स इन्फोर्मेशन बोर्ड (Insurance Information Board) द्वारा भी नये एवं पुराने वाहनों के बीमा विवरण को वाहन डाटाबेस (VAHAN database) पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जो एम-परिवहन एप (mParivahan App) एवं ई-चालान एप (eChallan App) पर भी प्रदर्शित होता है।

3- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से रखे गये अभिलेखों को मूल अभिलेख के समान वैधानिक स्वीकार्यता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-139 में यह प्राविधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर चालक या परिचालक वाहन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र यथा-पंजीयन पुस्तिका, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा इत्यादि प्रस्तुत करेगा।

4- यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इन्हें मान्यता प्रदान की गयी है, किन्तु प्रायः यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध इन डाक्यूमेंट्स को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध नहीं माना जा रहा है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजीलाकर (DigiLocker) प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एप (mParivahan App) पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध डाक्यूमेंट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वैध माना जाये तथा उन्हें परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (Documents) के समतुल्य समझा जाए। यदि प्रवर्तन कार्य के समय किसी अभियोग के अधिरोपित होने की स्थिति में वाहन के डाक्यूमेंट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को जब्त (Impound) करना आवश्यक हो तो प्रवर्तन अधिकारी डाक्यूमेंट्स को 'ई-चालान' (eChallan) सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रानिक्ली जब्त (Impound) किया जाये, जिससे जब्त डाक्यूमेंट्स की स्थिति सारथी/वाहन डाटाबेस (SARATHI/VAHAN database) पर प्रदर्शित हो। किसी भी डाक्यूमेंट्स के भौतिक रूप से जब्त (Physical seizure) करना आवश्यक नहीं है।

6- कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**आराधना शुक्ला**),
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-03/2019/1455/तीस-4-2018, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
4. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
5. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(**वैभव श्रीवास्तव**),
विशेष सचिव।